

वृद्ध व विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है।

हम एक साथ मिलकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं।

क्या कभी किसी ने निम्नलिखित करने की कोशिश की है...

- आपके पैसे या कार्यों पर नियंत्रण रखना?
- आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे ज़बरदस्ती कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाना?
- आपको असुरक्षित महसूस करवाना?
- आपको इस प्रकार छूना जैसा कि आप नहीं चाहते हैं?
- शारीरिक रूप से आपको तकलीफ़ पहुँचाना?
- आपको भोजन, कपड़े, दवा, चिकित्सक देखभाल या सही रहने का स्थान न प्रदान करना?
- आपको सहायता देने वाले जानवर को कष्ट पहुँचाना?
- आप अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए जिस उपकरण पर निर्भर करते हैं उसे खराब कर देना या ले लेना?
- आपको अपने परिवार या मित्रों से मिलने नहीं देना?
- आपको छोड़ देने या देखभाल प्रदान करने वाली सुविधा में भेज देने की धमकी देना?

यदि आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ जो कुछ किया जा रहा हो उसके बारे में बताने के लिए, इस पर फ़ोन करें:

000 - तीन बार ज़ीरो

यदि आपतकालीन या जीवन के लिए घातक स्थिति हो तो

131 444 - पुलिस सहायता फ़ोन लाईन  
ग़ैर-आपतकालीन स्थितियों के लिए

1800 333 000 - क्राईम स्टॉपरज़ (Crime Stoppers)  
जानकारी देने के लिए (यह गुमनाम हो सकती है)

1800 628 221 - NSW वृद्धावस्था व विकलांगता दुर्व्यवहार संबंधी सहायता फ़ोन लाईन (NSW Ageing & Disability Abuse Helpline)  
जानकारी, सहायता व रेफ़रल के लिए



राष्ट्रीय रिले सेवा (National Relay Service) - 1800 555 660  
फ़ोन दुभाषिया सेवाएँ (Telephone Interpreter Services) - 131 450

असुरक्षित  
समुदायों  
की रक्षा करना

वृद्धावस्था | विकलांगता | बेघर होना

Hindi